४४
३।

(2)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं०- 222B/2017-18

आकलू महतो **बनाम** सुतारी देवी

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-06-18		

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 711 दिनांक 16.05.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 222B/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता आकलू महतो, पिता–स्व० हुडरु महतो, ग्राम–सिंहपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सुतारी देवी, पति–मुचिराम महतो, ग्राम–सिंहपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
सिंहपुर	231	175	345	0.22 एकड़

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के दादाजी एवं अन्य के नाम से खतियान एवं पंजी–II में जमाबंदी कायम है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है। आवेदक के हिस्से में 3.16 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.22 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.94 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'कुर्मी', जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.22 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/6/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner